



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.07.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 707/22 धारा 308/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.07.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री हरबीर पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1. मांगे पुत्र घून 2. साहिल पुत्र मांगे 3. सरवरी पत्नि मांगे 4. जाबिर पुत्र कल्लू निवासीगण ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत ने वादी व वादी की पत्नि के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की, जिससे वादी की पत्नि बेहोश हो गई व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 707/22 धारा 308/323/504/506 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 707/22 धारा 308/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मांगे पुत्र घून निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री सोमपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 981 अंकित थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.07.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 705/22 धारा 452/323/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.07.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री जितेन्द्र पुत्र श्री लख्मीचन्द निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्त 1. कपिल पुत्र सुरेन्द्र 2. अमित पुत्र सुरेन्द्र 3. मन पुत्र अमित 4. बाला पत्नि सुरेन्द्र निवासीगण ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए लाठी-डण्डों व धारदार हथियार से मारपीट करना, जिससे वादी के पुत्र विनीत व पत्नि ओमवती के चोटे आई व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 705/22 धारा 323/452/504/506 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 705/22 धारा 323/452/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-कपिल पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-अमित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री सोमपाल सिंह कोतवाली बागपत ।

2-का0 981 अंकित थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 12.07.2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 540/22 धारा 323/504/308 भादवि में
वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.06.2022 को श्रीमती मुकेश पत्नी ओपिन निवासी वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1- संजय 2-संगीता 3- चांद 4- शिवानी उर्फ शिवा निवासीगण ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादीनी के साथ गाली-गलौच करते हुये मारपीट करना व सिर में हथौडा मारकर घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 540/22 धारा 323/504/308 भादवि पंजिकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 540/22 धारा 323/504/308 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-संजय पुत्र राजबल सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री कैलाश चन्द थाना बडौत

2- का0 972 आदित्य प्रताप सिंह थाना बडौत



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 12.07.2022

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 03 लीटर अपमिश्रित शराब एवं 500 ग्राम यूरिया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपमिश्रित शराब बनाने/बेचने वाले शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 03 लीटर अपमिश्रित शराब एवं 500 ग्राम यूरिया बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 181/2022 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शाहबाज उर्फ छुम्मन पुत्र नौशाद निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 03 लीटर अपमिश्रित शराब ।
- 500 ग्राम यूरिया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सोनवीर सिंह
2. है0का0 313 सत्यवीर शर्मा

3. का0 667 दीपक कुमार



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनाँक 12.07.2022

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 162/22 धारा 323/504/506 भादवि में 01
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 28.06.2022 को थाना दोघट बागपत पर वादी अंकित पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके पडौसी अभियुक्त 1- शुभम 2- अजेन्द्र उर्फ भारत पुत्रगण राजपाल शास्त्री 3-राजपाल शास्त्री पुत्र जिलेसिंह निवासीगण ग्राम



मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा वादी के चाचा सुमित उर्फ अनुज का खेत पर चारा काटते समय गाली-गलौज व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 162/2022 धारा 323/504/506 भादवि में पंजिकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 162/22 धारा 323/504/506 में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1 अजेन्द्र उर्फ भारत पुत्र राजपाल शास्त्री निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री मनीष कुमार

2- एचजी 457 ओमकार



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 12.07.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व

पता:-

1-परवेज पुत्र आसिफ निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-इंतजार पुत्र कोकू उर्फ हकीमुद्दीन निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना खेकड़ा ।

2-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना खेकड़ा ।

3-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा ।

4-का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकड़ा



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.07.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1. नौशाद पुत्र बाबू निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर

2. का0 1068 प्रवीण थाना सिंघावली अहीर



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12-07-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 21 पच्चा अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 21 पच्चा अवैध देशी शराब तोहफा उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- फिरोज पुत्र श्यामो निवासी वार्ड नम्बर-2 कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- आमिर पुत्र फिरोज निवासी वार्ड नम्बर-2 कस्बा अमीननगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 21 पच्चा अवैध देशी शराब तोहफा उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री रजत कुमार ।

2- का0 38 नारायण दास ।

3- का0 207 रिंकू चौहान ।